

क के समक्ष रहे किन्तु, जिसके साथ शामिल एक अवलोकन द्वारा 212 से एक द्वारा अवलोकन 88 खातेदारी घोषणा का अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ की ओर तब 01 जून 2021 को प्रत्युत की है।

हता के समक्ष राजस्थान कारागार अधीनस्थ, 1955 की द्वारा 225 के धारित आदेश दिनांक 11 जून 2021 के विभागा अधीनस्थ अधीन अवलोकन द्वारा राजस्थान शामिल एक संख्या 278/2021 बाबुलाल बलाम सरकार से अधीनस्थ के न्यायालय सहायक कलेक्टर पीपांड शहर के दिनांक : 29 अक्टूबर, 2021

लि फ य

अधीनस्थ-
श्री सिद्धार्थ पुरिहार, अधीनस्थ-अधीनस्थ
श्री न्यायम चौधरी, राजकीय अधीनस्थ-रूपी. सं. 1

----- 0 -----

सरकार

अधीनस्थ द्वारा 225 राजस्थान कारागार अधीनस्थ, 1955 बरखिलाक आदेश सहायक कलेक्टर पीपांड शहर दिनांक 11 जून 2021 राजस्थान शामिल एक संख्या 278/2021 बाबुलाल बलाम सरकार



जोधपुर।

01. राजस्थान सरकार वरिष्ठ वरिष्ठ वरिष्ठ पीपांड शहर, जिना

म

न

व

अधीनस्थ...

- 01. बाबुलाल एक राजस्थान
- 02. वरिष्ठ राजस्थान
- 03. बलदर एक राजस्थान
- 04. महादीर एक राजस्थान
- 05. श्रीमती विदानी पत्नी राजस्थान वरिष्ठ बलदर, जिना वरिष्ठ।

(Handwritten mark)

जाता है। अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिनियम 1140 में
अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिनियम 1140 में
अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिनियम 1140 में
अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिनियम 1140 में
अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिनियम 1140 में
अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिनियम 1140 में

होने से खतरा कम हो जायेगा।
संशोधित अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिनियम 1140 में
होने से खतरा कम हो जायेगा।
संशोधित अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिनियम 1140 में
होने से खतरा कम हो जायेगा।
संशोधित अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिनियम 1140 में
होने से खतरा कम हो जायेगा।
संशोधित अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिनियम 1140 में



विशेष कारणों से अधिनियम 1140 के अन्तर्गत अधिनियम 1956 के
अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिनियम 1140 में
अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिनियम 1140 में
अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिनियम 1140 में
अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिनियम 1140 में
अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिनियम 1140 में
अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अधिनियम 1140 में

10 बीमा अंगीत जिला परिवहन अधिकारी पीपुड शहर को आवंटित

की वाकर यमरा नं. 1577/1140 रकबा 1.6180 हेक्टर जिला

परिवहन अधिकारी कयालय पीपुड शहर के नाम से राजस्व

रेकड में दर् है। अधीनस्थ ययालय द्वारा उभय पक्ष को

अपने-अपने दरतावली सवत यमा- जगीर अधीनहन एवं अ-पुबध

अधिनयम एवं उसके पूर्व मारवाड स्टेट का रेकड एवं सीलिंग में अबात

अंगीत संवली रेकड परत किये जाने हेतु हियत दी गई, जिससे सुवाल

एवं व्याधिक विषय परित किया जा सके। अधीनस्थ ययालय की यद

हियत बालिब है। इन परस्थितियों में अधीनस्थ ययालय द्वारा

परित अधीनधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपर्यत विवेन एवं विवेरण के आधार अधीनध खरिन की

जाती है तथा अधीनस्थ ययालय द्वारा परित अधीनधीन आदेश

दिलोक 11 नून 2021 यथावत रखा जाता है।

विषय सुते ययालय में सुनया गया।

29/11/2021

(अवधन वरठठ)
राजस्थान अधीनधीन अधीनध
जयपुर

